

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त, 2026

(असाधारण भाग I — खंड -1)

अधिसूचना

सरकारी प्रतिभूति (जी एस) की बिक्री (निर्गम / पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(1)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2026: भारत सरकार एतद द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम / पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है।

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ ₹ में)
नई सरकारी प्रतिभूति 2029	17 अगस्त, 2026	03-00-00	17 अगस्त, 2029	लाभ	विविध	11,000
नई सरकारी प्रतिभूति 2033	17 अगस्त, 2026	07-00-00	17 अगस्त, 2033	लाभ	विविध	11,000
7.24% सरकारी प्रतिभूति 2055	18 अगस्त, 2025	30-00-00	18 अगस्त, 2055	मूल्य	विविध	5,000
7.50% भा.स. का सॉवरेन हरित बॉण्ड 2056	27 अप्रैल, 2026	30-00-00	27 अप्रैल, 2056	मूल्य	विविध	5,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना फा. सं. 4(2)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018, दिनांक 26 मार्च 2025 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई - 400001 के माध्यम से बेची जाएगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूति पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा **14 अगस्त, 2026** को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर प्रणाली) संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **14 अगस्त, 2026** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियाँ **पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे** के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियाँ **पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे** के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

जब निर्गमित कारोबार

4. ये प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 'जब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होंगी।

निर्गम की तारीख और प्रतिभूति के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर **14 अगस्त, 2026** को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **17 अगस्त, 2026** अर्थात् **निर्गम / पुनर्निर्गम की तारीख** को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर मूलनिर्गम/पिछले कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और प्रतिभूति का पुनर्भुगतान

6. **मूल निर्गम/पिछले कूपन भुगतान** की तारीख से प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	पिछले कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
नई सरकारी प्रतिभूति 2029	लाभ आधारित*	नई प्रतिभूति	नई प्रतिभूति	17 फरवरी और 17 अगस्त
नई सरकारी प्रतिभूति 2033	लाभ आधारित*	नई प्रतिभूति	नई प्रतिभूति	17 फरवरी और 17 अगस्त
7.24% सरकारी प्रतिभूति 2055	7.24	18 फरवरी, 2026	16 अगस्त, 2026	18 अगस्त और 18 फरवरी
7.50% भा.स. का सॉवरेन हरित बॉण्ड 2056	7.50	नई प्रतिभूति	16 अगस्त, 2026	27 अक्टूबर और 27 अप्रैल

*प्रतिभूति के लिए कूपन दर का निर्णय नीलामी में निर्धारित परिपक्वता दर की कट औफ़ लाभ पर किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से



(व्यासन आर.)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार